(2011) 3 एस. सी. आर **205**

स्वप्न कुमार सेनपति

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य

(2009 की आपराधिक अपील सं. **2129)**

24 फरवरी, **2011**

(हरजीत सिंह बेदी और चंद्रमौली के. आर. प्रसाद, न्यायाधिपतिगण)

भारतीय दण्ड संहिता **1860 -** धारा **325 -** गंभीर चोट **-** अभियुक्त ने अपने चाचा पर हमला किया। कोई बाहरी चोट नहीं **-** अभियुक्त के चाचा की मृत्यु तीन दिन बाद हुई **-** प्रथम सूचना भारतीय दण्ड संहिता की धारा **341** व **325** में घटना के तीन दिन बाद दर्ज हुई। प्रथम सूचना के अनुसार अभियुक्त ने मृतक पर हमला किया। उसके सीने पर बैठ गया तथा उसके सिर पर प्रहार किया **-** अन्वीक्षा न्यायालय ने तय किया कि अभियोजन कहानी संतुष्टि योग्य नहीं है तथा अभियुक्त को दोषमुक्त किया **-** उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को धारा **304** भाग **2** के तहत दोषसिद्ध कर सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया। अपील में तय किया गया कि मामले के तथ्यों के अनुसार धारा **304** भाग **2** में दोषसिद्धि युक्तियुक्त नहीं थी। प्रथम सूचना में देरी का स्पष्टीकरण दिया

गया। आहत को जो चोटें आई वे पत्थर से नहीं आई बल्कि अभियुक्त द्वारा मृतक को बुरी तरह से झकझोर देने से अंदरूनी चोटें मस्तिष्क को आई जिससे उसकी मृत्यु हुई। मामला स्पष्ट है धारा **325** भारतीय दण्ड संहिता का है। अपीलार्थी दो वर्ष की सजा भुगत चुका है। न्यायहित में अभियुक्त को भुगती गई सजा तक ही सजा दिया जाना उचित है।

प्रथम सूचना दर्ज करने में देरी, चाचा व भतीजे के बीच वैमनस्य के रिश्ते से भतीजे द्वारा चाचा पर हमला जिसके कारण उसके मस्तिष्क को चोट पहुंची व तीन दिन बाद मृत्यु हो गई। तब प्रथम सूचना दर्ज की गई। तय किया गया कि प्रथम सूचना में देरी अभियोजन कहानी को संदेहास्पद नहीं करती। क्योंकि विवाद परिवार में था तथा पारिवारिक विवाद में स्वतंत्र गवाह साक्ष्य देने से मुकरते हैं। इसके अतिरिक्त कोई बाहरी चोट नहीं होने के कारण प्रथम सूचना आहत की हालत खराब होने के बाद दर्ज की गई।

दाण्डिक अपीलीय याचिका **2129/2009**

(कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक **27.01.2009** अपील सं. **15/1999** से**)**

प्रदीप घोष व रउफ रहीम अपीलार्थी की ओर से,

सतीष विज प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय द्वारा निम्न आदेश प्रसारित किया गया।

आदेश

हमने पक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगण को सुना।

22.07.1992 को सुबह **11.00** बजे सत्कारी सेनापति जिसे हम आगे मृतक से सम्बोधित करेंगे, उम्र **76** वर्ष पर उसके भतीजे स्वप्न कुमार सेनापति ने जो अपीलार्थी है, हमला किया। यह हमला अन्य लोगों के अलावा अभियोजन साक्षी **3** व अभियोजन साक्षी **7,** मृतक के पत्नी व नौकर थे, के सामने हुआ। इस हमले के परिणामस्वरूप एक प्रथम सूचना **25.07.1992** पुलिस थाने में धारा **341** व **325** के तहत दर्ज करायी गयी। प्रथम सूचना में बताया गया कि पक्षकारों में अच्छे रिश्ते नहीं थे। चूंकि उनमें मुकदमेबाजी चल रही थी। अपीलार्थी ने मृतक पर हमला किया तथा उसके सीने पर चढ़ गया तथा उसके सर पर प्रहार किया। मृतक की हालत **25.07.1992** को बिगड़ गई। यद्यपि उसके इलाज के लिए कई चिकित्सालयों में ले जाया गया परंतु अन्ततः उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक की लाष का पोस्टमार्टम किया गया। इससे पता चला कि उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी तथा उसकी मृत्यु क्रेनियल एवं अतिरिक्त सेरिब्रल हेमरेज से हुई थी।

अन्वीक्षा न्यायालय ने अभियोजन साक्षी **3** व **7** की साक्ष्य पर विचार करते हुए क्योंकि अन्य साक्षी पक्षद्रोही हो गये थे। यह पाया कि अभियोजन कहानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपील में अन्वीक्षा न्यायालय

के निर्णय को बदलते हुए अभियोजन साक्षी **3** व **7** के साथ चिकित्सीय साक्ष्य को मानते हुए अभियुक्त को धारा **304** भाग **2** भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध करते हुए **7** वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। ऐसी स्थिति में यह मामला हमारे यहां विषेष अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रस्तुत हुआ।

हमने प्रदीप घोष विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलार्थी एवं सतीष विज विद्वान अधिवक्ता प. बंगाल राज्य को सुना।

श्री घोष ने यह तर्क दिया कि अभियोजन साक्षी **3** व **7** पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे हितबद्ध गवाह हैं और यह घटना एक स्थानीय गली के बीच में हुई है। अभियोजन को मामले में वहां के रहने वाले स्थानीय गवाहों को प्रस्तुत करना चाहिए था। उसने यह भी तर्क दिया कि चिकित्सकीय साक्ष्य चक्षुदर्षी साक्ष्य का समर्थन नहीं करती। किसी भी तरह से यह मामला धारा **304** भाग **2** भारतीय दंड संहिता का नहीं बनता। अधिक से अधिक धारा **325** भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि हो सकती थी।

श्री सतीष विज ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि अभियोजन साक्षी **3** व **7** मौके पर मौजूद थे। यद्यपि प्रथम सूचना दर्ज करने में कुछ देरी की गई है। परन्तु इसका स्पष्टीकरण है कि विवाद परिवार में था तथा शुरुआत में बाह्य चोट के अभाव में यह प्रतीत नहीं हुआ कि कोई गम्भीर चोट मृतक को पहुंची

है। मृतक की हालत जल्दी में गम्भीर होने पर प्रथम सूचना दर्ज की गई है। हमें यह भी पता है कि किसी पारिवारिक मामले में विवाद में स्वतंत्र गवाह आगे बढ़कर साक्ष्य देने में कतराते हैं। हम यद्यपि यह मानते हैं कि तथ्यों को देखते हुए धारा **304** भाग **2** में दोष सिद्धि त्रुटिपूर्ण थी। हम अभियोजन साक्षी **8** डाॅ. विभूति बरन सेनापति जिसने पोस्टमार्टम किया, की साक्ष्य को देखने से पता चलता है कि उसने मृतक के बाईलेटरल पेरी आॅर्बिटल हेमेटोमा मृतक के खोपड़ी के खुले स्थान में पाया तथा कोई बाह्य चोट नहीं थी। उसने यह भी पाया कि मृत्यु का कारण इंट्राक्रेनियल हेमरेज था। प्रतिपरीक्षा में चिकित्सक ने बयान दिया कि यदि किसी को पत्थर या कठोर वस्तु से प्रहार किया जाये तो उसके बाह्य चोट आना संभव है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी **9** डाॅ. मुरारी मोहन कुमार जिसने मृतक को **24.07.1992** को देखा था दावे से कहा कि उसके सिर पर कोई बाह्य चोट नहीं थी। यदि ऐसी कोई चोट होती तो सीटी स्कैन में दिखाई देती। अभियोजन साक्षी **3** की साक्ष्य में यह भी आया कि जब अपीलार्थी उसके पति के सीने पर बैठ गया, उसने मृतक का सर पकड़ कर उसे जमीन पर बार बार मारा। ऐसा प्रतीता होता है कि जो चोटें आईं, वे पत्थर से नहीं आई लेकिन यह कोन्कषन तथा अभियुक्त द्वारा मृतक के साथ किये गये दुव्र्यवहार से मस्तिष्क को अंदरूनी चोट आई, जिसके कारण हेमेटोमल हेमरेज हुआ। व उसकी मृत्यु हो गई। हम इसलिए इस राय के हैं कि यह मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा **325** के तहत बनता है। हमें बताया गया है कि अपीलार्थी दो साल की सजा भुगत चुका है। हम यह

पाते हैं कि यदि अभियुक्त की सजा **7** साल से जितनी वह भुगत चुका है उतनी कर दी जाये तो न्यायहित सफल होगा।

अपील उपरोक्त तरीके से निस्तारित की जाती है।

अपील निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।